कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष : 0755-2570414, फैक्स : 0755-2555162, E-Mail : sveepmp@gmail.com

// प्रेस नोट //

विषय : सी-विजिल मोबाईल एप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की निगरानी ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों से शिकायत एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु सी-विजिल मोबाईल एप उपयोग में लाया जा रहा है। इस मोबाईल एप के माध्यम से प्रदेश में अब तक 3387 शिकायतों का निराकरण किया गया है।

सर्वाधिक शिकायतें बिना अनुमति के पोस्टर एवं बैनर लगाये जाने की प्राप्त हुई है। इस श्रेणी में कुल प्राप्त 1988 शिकायतों में से 1805 शिकायतें सही पायी गई, जिन पर कार्यवाही की गई है। सम्पत्ति विरूपण की कुल 297 शिकायतें सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिनमें से 269 मामलों में कार्यवाही की गई है। शराब वितरण के 75 मामलें इस एप के माध्यम से संज्ञान में लाये गये, जिनमें से 36 सही पाये जाने से उन मामलों में कार्यवाही की गई है।

सी-विजिल मोबाईल एप के माध्यम से सर्वाधिक 493 मामलें बुरहानपूर जिले में दर्ज किये गये। इसके बाद दमोह जिलें में 443, खरगोन जिलें में 260, रीवा जिले में 258 तथा सिंगरौली जिलें में 223 शिकायतें दर्ज की गई है।

सी-विजिल मोबाईल एप की गई शिकायत क्रमांक 248058 दिनांक 16/03/2019 जिलों सिंगरौली स्थिति FST2 के द्वारा अंग्रेजी और देशी शराब 26 पाव पकड़ी गई तथा थाना नवानगर को कार्यवाही हेतु दिया गया। इसी प्रकार दिनांक 30/03/2019 को सी-विजिल मोबाईल एप पर की गई शिकायत क्रमांक 271604 में पुन: इसी FST2 द्वारा लंघाडोल स्थान पर 26 लीटर कच्ची शराब पकड़ी जाकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर कार्यवाही की गई है।

सी-विजिल मोबाईल एप एन्ड्रॉइड फोन पर गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है तथा आचार संहिता के उल्लंघन के किसी भी मामलें की शिकायत इसके माध्यम से की जा सकती है। इस एप में शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है।